न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील / टी.ए. / संख्या / ...46.. / 2026 जिला–जयपुर

2026/46

1. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रूडमल गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. कुन्ती देवी पत्नि रूडमल गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. अशोक कुमार पुत्र रूडमल गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र रूडमल गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 20.01.2026 जो कि प्रकरण संख्या 1/2026 सरकार बनाम कुन्ती देवी में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट कि ओर से निम्न निवेदन है कि–

(अ). यह कि उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया ओर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2393/941, 889, 941 लगायत 948 कुल किता 10 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 02 के नाम खातेदारी दर्ज है व खसरा संख्या 936, 937, 938, 949, 950, कुल किता 05 कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 के नाम खातेदारी दर्ज है उक्त आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 04 द्वारा कृषि भूमि में अवैध रूप से प्लॉट व रोड डालकर अकृषि कार्य कर उपयोग में लिया हुआ है जिसकी विधिवत कृषि भूमि से अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की कार्यवाही नही कराई गई है जो खातेदारी शर्तों का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राजेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 2026 / 46 (मौजमाबाद)

दिनांक 4/2/26

	श्री दीपक पारीक एडवोकेट	
29.01.2026	राजेश बनाम राजस्थान सरकार वगैरह (2026 / 46) यह अपील श्री दीपक पारीक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 1 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 02.02.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
02.02.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अपीलांट का विवादित आराजीयात में हक व हिस्सा निहित है व आराजी पुश्तैनी आराजी है जिस पर अपीलांट काबिज है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया है जिसकी पालना में विपक्षीगण आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे अपीलांट को अपार क्षति होगी जिसे न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील आदेश दिनांक 20.01.2026 की पालना एवं प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2026 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया जिस पर बहस सुनी जाकर स्थगन आदेश जारी किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 05.02.2026 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्थगन जारी किया गया है क्योंकि कानूनी रूप से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी, के न्यायालय में पोषणीय नहीं होकर सहायक कलक्टर के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर विधिक रूप से उपचार प्राप्त कर सकते है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RAA

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राजेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026/46 (मौजमाबाद)

श्री दीपक पारीक

लगभग...

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA